

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 80 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 96

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)


श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल
निवासी टामटिया आडा, बांसवाड़ा (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा,
बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12-08-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 04-07-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03-01-2024 को 5.30 पी.एम. बजे बाहेसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में Cow Ghee (Raghu Shree) के 30 जार प्रत्येक जार 1 लीटर का विक्रय हेतु रखे थे। उक्त Cow Ghee (Raghu Shree) में मिसब्राण्ड मानक स्तर का नही होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं. 5ए पर सूचना देते हुए Cow Ghee (Raghu Shree) के 4 जार प्रत्येक में 1 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1920/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा Cow Ghee (Raghu Shree) के 4 जार प्रत्येक 1 लीटर वजनी के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1702 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना लेने के शेष बचे घी (रघु श्री) के 26 जार प्रत्येक 1 लीटर को विक्रेता के परिसर में अग्रिम आदेशों तक सीज कर विक्रेता एवं मालिक श्री कल्पेश कलाल के सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया। हस्तलिखित मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गए। नमूना भागों को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/66 दिनांक 06-02-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 103 दिनांक 16-01-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Cow Ghee (Raghu Shree)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1702** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Cow Ghee (Raghu Shree)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-07-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12-08-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/66 दिनांक 06-02-2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 103 दिनांक 16-01-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Cow Ghee (Raghu Shree)** का नमूना कोड

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

क्रमांक **W-1702** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **Cow Ghee (Raghu Shree)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री कल्पेश कलाल पुत्र श्री अमृत लाल कलाल निवासी टामटिया आडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स शिव किराणा स्टोर, आंबापुरा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का.मु.चि. एवं स्वा.अधि. बांसवाडा सीज शुदा **Cow Ghee (Raghu Shree)** के 26 जार प्रत्येक 1 लीटर को नियमानुसार निस्तारित कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 12-08-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)